राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़ (राज.)

Mob. [illegible] E-Mail ID dcfpratapgarh@gmail.com / dcf.pratapgarh.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांकः–एफ./वन./[illegible]/2021–22/[illegible] दिनांक :– 12-03-2024

प्रेषित,

सहायक अभियंता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
उपखण्ड द्वितीय, सलूम्बर
जिला– उदयपुर (राज.)

विषय :– "Construction of Road Widening & Strengthening of Lasadiya to Dhariyawad Road (ODR-20) KM 00 to 30Km" वन भूमि के प्रत्यावर्तन के संबंध में।

संदर्भ :– आपका ईमेल दिनांक 18.02.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि कार्यालय आप द्वारा इस कार्यालय के "Construction of Road Widening & Strengthening of Lasadiya to Dhariyawad Road (ODR-20) KM 00 to 30Km" का वन भूमि का प्रत्यावर्तन प्रकरण के संबंध में अपना प्रति उत्तर अपने पत्र दिनांक 09.09.2023 से ऑनलाईन कोरेक्ट परिवेश वेब पोर्टल पर अपलोड किया गया है। जिसका अवलोकन इस कार्यालय द्वारा किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आप द्वारा इस कार्यालय के द्वारा लगाये गये आक्षेपो को सही रूप से समझा नही गया । इस कार्यालय के द्वारा युक्त प्रत्यावर्तन प्रकरणो का अवलोकन किया गया । जिसमें निम्नानुसार आक्षेप है–

1. प्रकरण के साथ आप द्वारा राजस्व खोजपुर एवं भीमागांव का मानचित्र संलग्न किया गया है राजस्व विभाग द्वारा प्रमाणित नही है।

2. अतिरिक्त वृक्षारोपण हेतु आप द्वारा गैर वन भूमि के आरक्षित करवाने के संबंध में कोई भी दस्तावेज अपलोड किये गये है। जिसमें जिला कलक्टर सलूम्बर द्वारा 17.1270 है0 भूमि को आरक्षित की गई है। किन्तु प्रत्यावर्तन प्रकरण 17.[illegible] है0 है।

3. अतिरिक्त वृक्षारोपण हेतु आरक्षित की गई भूमि को 2 परमानेंट राजस्व बिन्दुओ से मिलान कर KML फाईल बनाकर प्रस्तुत करे।

अतः आप अतिरिक्त बिन्दु संख्या 1 से 3 की पूर्ति कर इस कार्यालय मे हार्ड कॉपी तथा ऑनलाईन परिवेश वेब पोर्टल पर अपलोड कर प्रस्तुत करे ताकि प्रत्यावर्तन प्रकरण में आ रही वास्तविक वन भूमि की गणना कर तथा प्रत्यावर्तन प्रकरण में अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

(हरि किशन सारस्वत भा.व.से .)
उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ़

क्रमांकः–एफ./वन./[illegible]/2021–22/2945-50 दिनांक :– 12-03-2024

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी F.C.A. राजस्थान जयपुर ।
2. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर।
3. जिला कलक्टर, उदयपुर/प्रतापगढ।
4. अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सलूम्बर/धरियावद ।

उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ़

Signature valid
Digitally signed by Hari Kishan Saraswat
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2024.03.08 15:24:30 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref
6015025

Scanned with OKEN Scanner